

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)
सेदरात बनाम रत्ना देवी

तारीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज

डा. वपत्र अस्थाई निषेध. क्र. 69/2022

16.10.2024

पत्रावली आज पेश हुई। वकील वादीगण उपस्थित। प्रकरण से सम्बन्धित मूल वादपत्र आज न्यायालय द्वारा डिक्री होकर फैसल हो चुका है। मूल वादपत्र के डिक्री हो जाने से इस प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को आगे चलाये जाने का कोई औचित्य प्रतित नहीं होता है। अतः प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को इसी स्तर पर खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(अनिल कुमार)

सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रैक)
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

